न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका बिश्नोई आर.ए.एस.

अनवान -

निर्मल सिंह पुत्र श्री जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 13 ए.एस. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

-प्रार्थी-

बनाम

1. श्योलाल सिंह पुत्र श्री भेरजी जाति राजपूत निवासी 13 ए.एस. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.), श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।

-अप्रार्थीगण-

उपस्थिति - 1. श्री प्रेम कुमार चुघ वकील प्रार्थी
2. श्री वकील अप्रार्थी संख्या 1
3. पैराकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 38/2020 **निर्णय दिनांक -27/01/2020**

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त अनवान का एक वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है। उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.ए. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 11 ए.एस. का मु.नं. 93 प.नं. 203/471 के किला नं. 21 ता 25 में कुल 1.2400 है. भूमि कमाण्ड खातेदारी है। इस भूमि के साथ चिपते ही अप्रार्थी संख्या 1 श्योलाल सिंह की भूमि मु.नं. 102 प.नं. 203/472 के किला नं. 1 ता 25 में कुल 6.074 है. भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि मु.नं. 102 प.नं. 203/472 के किला नं. 21, 22, 23, 24, 25 में आमजन के आने जाने व ऊंट गाड़ा ले जाने हेतु एक रास्ता पूर्व में गै.मु. रास्ता जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जो उक्त रास्ता आगे जाकर मुख्य मार्ग से जुडता है जिससे आमजन इस रास्ते का प्रयोग करते है। और मुख्य मार्ग को जाते है। प्रार्थी को भी अपने खेत में कृषि कार्य के लिए आने व जाने, ट्रेक्टर व ऊंट गाड़ा लाने ले जाने व कृषि औजारों को ले जाने के लिए प्रार्थी इस चक 11 ए.एस. के मुरब्बा नं. 102 प.नं. 203/472 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में बने रास्ते को उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। इसी किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 से प्रार्थी आता जाता है। और अपने वाहनों का भी इसी रास्ता से प्रयोग करता है। चूंकि यह रास्ता बिलकुल नजदीक है, और अन्य

लगातार.....2

जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

रास्तो की तुलना में बहुत ही शॉर्टकट है, और यह उक्त वर्णित रास्ता किला नं. 21, 22, 23, 24, 25 पर बने स्वीकृत रास्ता से जाकर मिलता है। और उक्त स्वीकृत रास्ता जो मुख्य सड़क से मिलता है। इस प्रकार प्रार्थी को मुख्य सडक से अपनी भूमि में आने जाने के लिए केवल यही एक रास्ता है। इस प्रकार प्रार्थी को मुख्य सड़क पर आने जाने के लिए बहुत ही कम समय लगता है और बहुत ही कम रास्ते को तय करना पड़ता है। इस प्रकार आसानी से प्रार्थी अपनी भूमि सें मुख्य सडक आ जा सकता है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है। प्रार्थी पूर्ण रूप से अन्य काश्तकारो से घिरा हुआ है और प्रार्थी को प्रार्थी के खेत मे आने जाने व कृषि औजारों को लाने ले जाने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है। और आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। जिससे अन्य रास्ते लम्बे व टेढ़े मेढ़े है व असुविधाजनक है। उन रास्तो से आने जाने से प्रार्थी को भारी परेशानियां होगी और वहां से आना जाना असम्भव है। प्रार्थी लगातार इस रास्ते का प्रयोग करता आ रहा है। प्रार्थी के खेत में आने जाने व कृषि औजार व ट्रेक्टर ट्राली के लाने ले जाने के लिए केवल यही एकमात्र रास्ता है। आज से करीब एक सप्ताह पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 ने स्पष्ट धमकी दी कि तुम्हे इस रास्ते का प्रयोग करने नहीं देगे। अपने लिए कोई और रास्ता ढूंढ लो या इस रास्ते को मंजूर करवाओ। इसलिए प्रार्थी को माननीय न्यायालय की शरण में आना पड़ा। प्रार्थी अपने इन उक्त वर्णित भूमि में आने जाने एवं कृषि औजारो को लाने ले जाने के लिए प्रार्थी की जमीन के साथ चिपते मु.नं. 102 प.नं. 203/472 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 जो कि अप्रार्थी संख्या 1 श्योलाल सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, में 2-2 बिस्वा रास्ते को मन्जूर करवाना चाहता है। प्रार्थी उक्त रास्ता में आई भूमि के बदले में अपनी कृषि भूमि देने अथवा भूमि के बदले प्रतिफल अदा करने के लिए भी तैयार है। उक्त रास्ता ही प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिए सुविधाजनक, सही और शॉर्टकट रास्ता है। जिससे प्रार्थी अपनी कृषिभूमि को सही रूप से काश्त कर सकेगा। आदि का प्रस्तुत कर प्रार्थी की कृषि भूमि के लिए अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि चक 11 ए.एस. का मु.नं. 102 प.नं. 203/472 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में 2-2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से उसके पोत्र मदन सिंह पुत्र भंवर सिंह ने अपना/अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों से असहमति प्रकट करते हुए निवेदन किया कि श्योलाल सिंह का देहान्त दिनांक 04/01/2018 को हो चुका है ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र रंजिश वश पेश किया गया है। जो प्रथम दृष्टया निरस्ती योग्य है। मृतक के खिलाफ प्रार्थी ने मुख्य अनुतोष चाहा है जबकि एक मृतक व्यक्ति के खिलाफ प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। इसलिए भी प्रार्थना पत्र काबिले निरस्ती के है। प्रार्थी ने चक 11 ए.एस. का मुरब्बा नं. 102 प.नं. 203/472 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में 2-2 बिस्वा रास्ता चाहा है। इसी प्रार्थना पत्र के संलग्न नोटिस वास्ते जाहिर करने की वजह में किला नं. 21 ता 25 में रास्ता मांगा गया है जो प्रार्थना पत्र में अनुतोष चाहा है अपने आप में भ्रमित होने के कारण प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के

लगातार.....3

कलेक्टर
जयपुर

है आदि का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र 251 आर.टी.ए. एक मृतक व्यक्ति के खिलाफ प्रस्तुत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया। पैरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रास्ता जोतके सुविधाजनक उपयोग के लिए है एवं आवश्यक है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड उक्त रकबा के लिए स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा अब तक जो रास्ता उपयोग में लिया जा रहा है वह स्वयं के परिवार व अन्य काश्तकारों की सहमति से अस्थाई उपयोग में लिया जा रहा है। अन्य विकल्प के रूप में निकटतम रास्ता प.नं. 202/470 किला नं. 21 से 25 रकबा खातेदार के नाम से दर्ज है उक्त रकबा के किला नं. 21 में टयूबवैल व किला नं. 23 में पक्का मकान बना हुआ है। प्रस्तावित रास्ता (प्रार्थी द्वारा चाहा गया) प.नं. 203/472 किला नं. 1 में खाला 0.025 है. दर्ज है। उक्त रकबे में किला नं. 1 से 5 सिंचाई विभाग का खाला बना हुआ है। किला नं. 11 में टयूबवैल व कच्चा मकान बना हुआ है। प.नं. 203/472 किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक किला में 0.025 है. कमाण्डभूमि अराजी राज दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त रकब पूर्व में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय रायसिंहनगर द्वारा गै.मु. रास्ता से आराजी राज दर्ज किया गया। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प.नं. 203/472 किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 0.025 है. कमाण्ड भूमि अराजी राज दर्ज रिकॉर्ड हैं उक्त रकबा के किला नं. 1, 10 सम्वत् 2077 फसल खरीफ में धारा 22 की कार्यवाही जैरकार है। वर्तमान में जोत तक पहुंचने हेतु काश्तकार व परिवार व अन्य काश्तकारों का उपयोग आपसी सहमति से अस्थाई रूप से किया जा रहा है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया। निष्कर्ष रूप में यह पाया कि उक्त रकबा पूर्व में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, रायसिंहनगर द्वारा गै.मु. रास्ता से अराजी राज दर्ज किया गया। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 के अनुसार कोई भी न्यायालय किसी ऐसे विवाधक का विचारण नहीं करेगा, जिसमें न्यायालय द्वारा विवाद अंतिम रूप से विनिश्चित पूर्व में किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Priyanka

(प्रियंका बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उप जिला कलेक्टर
श्रीविजयनगर